WE ARE YOUR DOL

NEW YORK STATE | Department of Labor

बेरोज़गारी बीमा विभाग

इनके समक्ष सुनवाई
बेरोज़गारी बीमा विभाग प्रशासनिक कानून न्यायाधीश

यह जानकारीबेरोजगारी बीमा प्रशासनिक कानून न्यायाधीश अनुभाग में बेरोजगारी बीमा प्रशासनिक कानून न्यायाधीश के समक्ष आपकी अगली सुनवाई के बारे में बुनियादी प्रश्नों के जवाब देने के लिए न्यूयॉर्क राज्य श्रम विभाग द्वारा प्रदान की गई है।

अधिक जानकारी के लिए, पैम्फलेट 'आपकी बेरोजगारी बीमा लाभ सुनवाई के बारे में प्रश्न और उत्तर'(फॉर्म TC 424.2) पढ़ें, जो आपको श्रम विभाग से मेल में प्राप्त हुआ होगा। यह http://www.labor.ny.gov/formsdocs/ui/formsandpublications.shtm पर भी उपलब्ध है।

बेरोजगार होने के दौरान **अपने अधिकारों की रक्षा के लिए** आपको लाभ के लिए प्रमाणित करते रहना चाहिए और निर्देशानुसार व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। आपकी सुनवाई से संबंधित किसी भी पत्राचार में प्रशासनिक कानून न्यायाधीश सुनवाई संख्या और आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर दोनों शामिल होनी चाहिए।

प्रशासनिक कानून न्यायाधीश कौन होता है?
प्रशासनिक कानून न्यायाधीश एक निष्पक्ष (उचित) निर्णयकर्ता होता है जिसका निर्णय श्रम विभाग से स्वतंत्र होता है। प्रशासनिक कानून न्यायाधीश आपकी सुनवाई करेंगे, आपकी सुनवाई में सभी तथ्यों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे, और फिर इस बारे में निर्णय लेंगे कि आप (दावेदार) बेरोज़गारी बीमा लाभों के हकदार हैं या नहीं।

मैं किस तरह से सुनवाई की तैयारी कर सकता/सकती हूँ?
आपको सुनवाई में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील या अन्य प्रतिनिधि रखने का अधिकार है। वह वकील जो किसी दावेदार का प्रतिनिधित्व करता है, वह शुल्क ले सकता है, जो कानून द्वारा सीमित है। दावेदार का प्रतिनिधित्व करने वाला यदि वकील नहीं है तो वह तब तक शुल्क नहीं ले सकता जब तक कि वह अपील बोर्ड का पंजीकृत एजेंट न हो। दावेदार के प्रतिनिधियों को शुल्क का भुगतान केवल तभी किया जाता है जब दावेदार को सुनवाई के परिणामस्वरूप लाभ प्राप्त होता है और अपील बोर्ड शुल्क की मंजूरी देता है। यदि आप किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्थानीय कानूनी सहायता सोसायटी (Legal Aid Society) या कानूनी सेवा कार्यक्रम (Legal Services Program) के माध्यम से नि:शुल्क प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। वकीलों, पंजीकृत प्रतिनिधियों, कानूनी सेवा कार्यक्रमों और लोक-कल्याणकारी वकीलों के संगठनों सहित कानूनी संसाधनों की सूची के लिए, बेरोजगारी बीमा अपील बोर्ड की वेबसाइट www.uiappeals.ny.gov पर जाएँ। "सहायक सूचना" टैब का चयन करें और फिर "मार्गदर्शक और संसाधन" का चयन करें। "अटॉर्नी और अधिकृत एजेंटों की सूची" चुनें। आप (518) 402-0205 पर कॉल करके भी इस सूची का अनुरोध कर सकते हैं। आपको सुनवाई से पहले अपनी पूरी केस फाइल की समीक्षा करने का अधिकार है।

यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं, तो यहाँ संपर्क करें - बेरोज़गारी बीमा विभाग प्रशासनिक कानून न्यायाधीश (877) 880-3322 या श्रम विभाग के टेलीफ़ोन दावा केंद्र को (888) 209-8124 पर।

प्रशासनिक कानून न्यायाधीश किस प्रकार सुनवाई करेंगे?
सुनवाई के दौरान, प्रशासनिक कानून न्यायाधीश द्वारा की जाने वाले कार्य:

a. उपस्थित सभी पक्षों की पहचान करेंगे और इसमें शामिल मुद्दों की संक्षेप में रूपरेखा तैयार करेंगे;
b. शपथ या पुष्टिकरण के तहत सभी पक्षों से गवाही लेंगे;
c. आवश्यक तथ्य प्राप्त करने के लिए पक्षों और गवाहों से प्रश्न करेंगे;
d. गवाहों के प्रश्न पूछने में पक्षों की सहायता करेंगे;
e. नियम बनाएँगे जिस पर दस्तावेजों या गवाही को साक्ष्य में स्वीकार किया जा सके;
f. प्रासंगिक रिकॉर्ड के लिए और गवाही देने के लिए उपस्थित होने वाले व्यक्तियों के लिए सम्मन जारी करेंगे; और
g. पक्षों को अपना केस प्रस्तुत करने के लिए केस फ़ाइल से दस्तावेज़ों का उपयोग करने की अनुमति देंगे।

सुनवाई के समय मेरे क्या-क्या अधिकार हैं?

सुनवाई के दौरान, आप निम्नलिखित अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

a. अपनी ओर से गवाही दे सकते हैं;
b. अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील या अन्य व्यक्ति को ला सकते हैं;
c. गवाहों को आपकी ओर से गवाही देने दे सकते हैं;
d. दस्तावेज़, रिकॉर्ड और अन्य सबूत रिकॉर्ड में पेश कर सकते हैं;
e. प्रशासनिक कानून न्यायाधीश को पेश किए जाने वाले दस्तावेज़ों को सम्मन करने और गवाहों को आपकी ओर से गवाही देने के लिए कह सकते हैं;
f. विरोधी पक्षों और प्रतिकूल गवाहों से (या "क्रॉस इग्ज़ैमिन") प्रश्न पूछ सकते हैं;
g. यदि आपको प्रश्न पूछने में परेशानी हो रही हो तो प्रशासनिक कानून न्यायाधीश को आपकी सहायता करने के लिए कह सकते हैं;
h. किसी भी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर सकते हैं जो आपको समझ न आए;
i. आपके विरुद्ध पेश किसी साक्ष्य का स्पष्टीकरण दे सकते हैं या उसका खंडन कर सकते हैं;
j. एक युक्तिपूरक कारण के लिए बाद की तारीख में देरी (या "स्थगन") का अनुरोध कर सकते हैं; और
k. सुनवाई के अंत में यह स्पष्ट करने के लिए एक बयान दे सकते हैं कि आप बेरोज़गारी बीमा लाभों के हकदार क्यों हैं या सुनवाई के दौरान उठाए गए या अस्पष्ट बिंदुओं की व्याख्या कर सकते हैं।

सुनवाई पूरी होने के बाद क्या होता है?

सुनवाई के बाद, प्रशासनिक कानून न्यायाधीश आपको यह सूचित करते हुए 'निर्णय और निर्णय का नोटिस' जारी करेंगे कि क्या आप बेरोज़गारी बीमा लाभों के हकदार हैं या नहीं। सुनवाई के बाद इसे आपको जल्द से जल्द डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।

'निर्णय और निर्णय के नोटिस' में, प्रशासनिक कानून न्यायाधीश साक्ष्य से प्राप्त तथ्यों, निष्कर्षों के कारणों और अपने निर्णय को निर्धारित करेगा।

'निर्णय और निर्णय के नोटिस' में दी गई जानकारी में इसकी भी व्याख्या होगी कि यदि आप प्रशासनिक कानून न्यायाधीश के निर्णय से असहमत हैं तो आप अपील बोर्ड में अपील कैसे दायर करें।

यदि आप प्रशासनिक कानून न्यायाधीश के निर्णय को नहीं समझ पाते हैं, तो आप श्रम विभाग के टेलीफोन दावा केंद्र को कॉल कर सकते हैं और स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकते हैं।

यदि प्रशासनिक कानून न्यायाधीश या अपील बोर्ड यह निर्धारित करता है कि आपको लाभ से अधिक भुगतान प्राप्त हुआ है, तो आपको उन लाभों का वापस भुगतान करना पड़ सकता है।